

टीपें और आज्ञायें

सहा0 सं0अधी0 / प्र0 अधि0(सम्पत्ति) / सचिव / उपाध्यक्ष महोदय,

कृपया दाहिनी तरफ संलग्न श्रीमती माधुरी मल्ल पत्नी श्री ध्रुपदेव मल्ल व श्री अमन कुमार मल्ल पुत्र श्री अशोक कुमार मल्ल द्वारा प्रस्तुत आन लाईन रजिस्ट्रेशन नं0-एमयू2019021414315054 दिनांक 14.02.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लेक व्यू विस्तार फेज-प्रथम आवासीय योजना के अन्तर्गत भूखण्ड सं0-एच0आई0जी0-तृतीय-14 श्री चौथीराम सोनकर पुत्र स्व0 जमुना राम सोनकर के पक्ष में आवंटित है, जिसका पूर्ण भुगतान के उपरान्त प्राधिकरण से दिनांक 18.12.2012 को भूखण्ड क्षेत्रफल 162.00 वर्ग मीटर एवं दिनांक 31.05.2014 को अतिरिक्त भूखण्ड क्षेत्रफल 8.08 वर्ग मीटर, इस प्रकार भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल 170.08 वर्ग मीटर का श्री चौथीराम सोनकर पुत्र स्व0 जमुना राम सोनकर व श्रीमती चम्पा देवी पत्नी श्री चौथीराम सोनकर के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित है। श्री चौथीराम सोनकर पुत्र स्व0 जमुना राम सोनकर व श्रीमती चम्पा देवी पत्नी श्री चौथीराम सोनकर द्वारा उक्त भूखण्ड को श्रीमती माधुरी मल्ल पत्नी श्री ध्रुपदेव मल्ल व श्री अमन कुमार मल्ल पुत्र श्री अशोक कुमार मल्ल के पक्ष में दिनांक 12.11.2018 को रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया गया है। श्रीमती माधुरी मल्ल पत्नी श्री ध्रुपदेव मल्ल व श्री अमन कुमार मल्ल पुत्र श्री अशोक कुमार मल्ल द्वारा उक्त भूखण्ड को म्यूटेशन के आधार पर नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2018 के साथ विक्रय विलेखों एवं रजिस्ट्री बैनामा की प्रमाणित छायाप्रतियाँ प्रस्तुत करते हुए उक्त भूखण्ड पर संयुक्त रूप से नाम दर्ज किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

शासनादेश संख्या-128/9-आ-1-97 दिनांक 06.02.1997 के अनुसार भूखण्ड/ भवन/दुकान के मूल्य का 01 प्रतिशत म्यूटेशन शुल्क के रूप में जमा कराकर नाम दर्ज किये जाने का प्राविधान था। पूर्व में तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 30.09.2005 एवं निर्देश के क्रम में आवंटित सम्पत्ति के वर्तमान मूल्य, वैनार्में दर्शित मूल्य व प्राधिकरण द्वारा विक्रय की गयी सम्पत्ति मूल्य में से जो अधिक हो उसका 01 प्रतिशत शुल्क जमा कराकर म्यूटेशन करने का आदेश पारित किया गया है। वर्तमान में उक्त के अतिरिक्त तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 04.05.2012 के क्रम में जिलाधिकारी सर्किल रेट के आधार पर मूल्य आगणित करते हुए चारों में से जो अधिक हो उसका 01 प्रतिशत म्यूटेशन शुल्क जमा कराकर नामान्तरण की कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया है। चूंकि विक्री की गयी सम्पत्ति का मूल्य रू0-3,71,646.00 व बैनामा में दर्शित मूल्य रू0-40,45,000.00 है व वर्तमान मूल्य रू0-32,52,688.00 मात्र तथा जिलाधिकारी सर्किल रेट के अनुसार मूल्य रू0-40,41,100.00 है। इस प्रकार चारों में बैनामा में दर्शित मूल्य अधिक है, जिसका 01 प्रतिशत म्यूटेशन शुल्क रू0-40,450.00 मात्र देय होता है। श्री चौथीराम सोनकर पुत्र स्व0 जमुना राम सोनकर व श्रीमती चम्पा देवी पत्नी श्री चौथीराम सोनकर से पत्र संख्या-203 दिनांक 29.11.2018 पंजीकृत डाक के माध्यम से आपत्ति मांगी गयी थी, परन्तु आज दिवस तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। म्यूटेशन शुल्क के गणना का परीक्षण लेखा अनुभाग द्वारा नोटशीट के गत पृष्ठ संख्या-14 पर किया गया है।


विधि/वाद अनुभाग की आख्या अनुसार स्थिति निम्नवत पायी गयी है :-

1- सहायक विधि अधिकारी की आख्या दिनांक 14.03.2019 के अनुसार लेक व्यू विस्तार फेज-प्रथम आवासीय योजना के अर्न्तगत भूखण्ड सं०-एच०आई०जी०-तृतीय-14 के सम्बन्ध में कोई वाद योजित होना नहीं पाया गया है।


2- वाद अनुभाग के अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की आख्या दिनांक 13.03.2019 के अनुसार अवैध निर्माण सम्बन्धी वाद योजित होना नहीं पाया गया है।

3- सम्पत्ति के मद में कोई देयता शेष नहीं है।


अतः श्री चौथीराम सोनकर पुत्र स्व० जमुना राम सोनकर व श्रीमती चम्पा देवी पत्नी श्री चौथीराम सोनकर के पक्ष में लेक व्यू विस्तार फेज-प्रथम आवासीय योजना के अर्न्तगत आवंटित भूखण्ड सं०-एच०आई०जी०-तृतीय-14 को उपरोक्तानुसार विक्रय कर दिये जाने के कारण उक्त भूखण्ड पर श्री चौथीराम सोनकर पुत्र स्व० जमुना राम सोनकर व श्रीमती चम्पा देवी पत्नी श्री चौथीराम सोनकर के नाम के स्थान पर श्रीमती माधुरी मल्ल पत्नी श्री ध्रुपदेव मल्ल व श्री अमन कुमार मल्ल पुत्र श्री अशोक कुमार मल्ल का संयुक्त रूप से नाम दर्ज किये जाने हेतु म्यूटेशन शुल्क रू०-40,450.00 मात्र प्राधिकरण निधि में जमा कराकर नाम दर्ज करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।


3.4.19
योगेश भागवत
लिपि


2191
03-04-2019
(प्र०/क)


3/4/2019

इन्द्रजीत सिंह
सहायक सम्पत्ति अधीक्षक


8.4.19

सचिव
पोरखपुर विकास प्राधिकरण
पोरखपुर


(अमित सिंह बंसल)
उपाध्यक्ष